उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
संख्या : बी–1–2761/दस–2007–247/2007
लखनऊ : दिनाँक : 30 जुलाई, 2007

कार्यालय–ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2007–2008 में लेखानुदान अवधि की वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या बी–1–879/दस–2007–247/2007 दिनाँक 15 मार्च, 2007 तथा कार्यालय–ज्ञाप संख्या बी–1–2554/दस–2007–247/2007 दिनाँक 06 जुलाई, 2007 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2007–2008 के बजट की समस्त अनुदानों की माँगें, जैसा कि विधान मण्डल में प्रस्तुत गयीं, स्वीकृत हो चुकी हैं । स्वीकृत धनराशि के राज्य की समेकित निधि से भुगतान एवं विनियोग उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2007 (अधिनियम संख्या 17 सन् 2007) से प्राधिकृत हो चुके हैं । अतः वित्तीय वर्ष 2007–2008 के अनुदानों / भारित विनियोगों को अब बजट का अन्तिम रूप समझा जाये ।

2– प्रशासकीय विभागों से अनुरोध है कि वर्ष 2007–2008 के बजट में अपने विभाग से सम्बन्धित अनुदानों / भारित विनियोगों के अन्तर्गत मुख्य, उप मुख्य, लघु तथा उप / विस्तृत शीर्षों में व्यवस्थित धनराशियाँ (उन धनराशियों को छोड़कर जो अंशपूंजी विनियोजन तथा ऋण एवं अग्रिमों के रूप में दी जानी हो, सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता के अन्तर्गत की ऐसी धनराशियाँ जिनके व्यय की कोई नियमावली न बनी हो तथा 'व्यय की नई मदें', जिनकी स्वीकृति वित्त / नियोजन विभाग की सहमति के उपरान्त दी जानी हैं) तुरन्त अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों तथा अन्य नियंत्रक अधिकारियों के निस्तारण पर वित्तीय वर्ष 2007–2008 में व्यय करने के लिये रख दें । उन योजनाओं, जिनमें वित्त विभाग की सहमति का प्रतिबन्ध लगाया गया हो, में भी प्रशासकीय विभाग स्वीकृति / धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर लें । जिन स्वीकृतियों को वित्त / नियोजन विभाग की सहमति से जारी किया जाना हो, उनके लिए भी प्रशासकीय विभाग तत्परता से कार्यवाही करें । वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों के प्रस्ताव भेजते समय पत्रावली पर इस आशय की स्पष्ट सूचना उपलब्ध करा दी जाय कि लेखानुदान अवधि में विभाग के स्तर से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत / अवमुक्त की गयी है । विभाग द्वारा जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों की प्रतिलिपि भी पत्रावली में रख दी जांय । इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–बी–1–2310/दस–2007 दिनाँक 13 जून, 2007 द्वारा जारी आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियों की प्रतिलिपि आवश्यक रूप से, यथास्थिति महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं वित्त विभाग के सम्बन्धित (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग को भी भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय ।

3– समस्त प्रशासकीय विभाग अपने अनुदान / भारित विनियोगों के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें । जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय । विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा

कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय । यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर उपलब्ध हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय । ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है । स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के लिए भी स्वीकृत धनराशि का आवंटन एवं उसका आहरण सम्बन्धित जनपदों में ही किया जाय । स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों को धनराशि उनके वैयक्तिक लेखा खाते के माध्यम से भुगतान की जाय । किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक / डाकघर में जमा न की जाय ।

4– प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्तीय स्वीकृतियाँ यथा–सम्भव पूरे वित्तीय वर्ष के लिये जारी की जांय ताकि टुकड़ों में स्वीकृतियाँ जारी करने से परिहार्य विलम्ब न हो । निर्गत स्वीकृति आदेशों में कोषागार से धनराशि के आहरण की फेजिंग भी कर दी जाय । यदि धनराशि किसी ऐसी कार्यदायी संस्था / निगम / परिषद को दी जानी है, जिसका कोषागार में, व्यपगत न होने वाला डिपाजिट खाता है तो ऐसी स्थिति में स्वीकृति आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि आहरित धनराशि सम्बन्धित संस्था के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा ।

5– अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनाँक 15 मार्च, 2007 के प्रस्तर 2(1), 2(2), 2(3) व 2(4) को छोड़कर अन्य सभी निर्देश वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने / व्यय करने के सम्बन्ध में यथावत लागू होंगे ।

(शेखर अग्रवाल)
प्रमुख सचिव, वित्त ।

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

संख्या : बी–1–2761(1)/दस–2007–247/2007, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2 महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
4 समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5 समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
(डा.बी.एम.जोशी)
सचिव, वित्त ।